# न्यायालय जिला कलक्टर, बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी : टीना डाबी, आई0ए0एस0

राजस्व अपील सं. 62/2024

**अपीलार्थी–**

1. कोजराज सिंह पुत्र धारा
2. अशोकसिंह पुत्र धारा
3. निम्बसिंह पुत्र धारा
4. कमलसिंह पुत्र धारा जाति दारोगा निवासी निम्बासर तहसील शिव जिला बाड़मेर

***बनाम***

**उत्तरदाता–**

1. तहसीलदार शिव
2. गोमा पुत्र जोगा जाट निवासी निम्बासर, तहसील शिव जिला बाड़मेर
3. अमराराम पुत्र जोगाराम जाति जाट निवासी निम्बासर, तहसील शिव जिला बाड़मेर

**राजस्व प्रथम अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 विरूद्ध निर्णय दिनांक 10.12.2024 जो प्रकरण सं. 67/2024 मे तहसीलदार शिव द्वारा पारित किया गया।**

उपस्थिति :–

1. श्री सुरेश सोनी, अधिवक्ता अपीलार्थी की ओर से उपस्थित।
2. श्री किशनाराम चौधरी, रेस्पोडेन्ट संख्या 02 व 03 की ओर से उपस्थित।
3. रेस्पोडेन्ट संख्या 01 प्रर्फोमा पक्षकार।

## निर्णय

दिनांक : 09.12.2025

1. अपीलार्थी की ओर से यह प्रथम अपील राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 75 के अन्तर्गत तहसीलदार शिव द्वारा प्रकरण सं. 67/2024 सरकार बनाम गोमाराम व अन्य में पारित निर्णय दिनांक 10.12.2024 के विरूद्ध पेश [illegible]।

Signature Not Verified
Digitally signed by Tina Dabi
Date: 2026.02.03 12:37:18 IST
Reason: SelfAttested

2. प्रस्तुत अपील [illegible] कि पटवारी हल्का निम्बासर द्वारा तहसीलदार शिव [illegible] प्रस्तुत कर निवे[illegible] किया कि मौजा निम्बासर के खसरा नम्बर 36, 3[illegible] 38 रकबा 28.4979, [illegible]51, 28.3280 हैक्टेयर किस्म गैर मुमकीन धोरा, बारानी सोयम में गैर सायल

जिला कलक्टर बाड़मेर

गोमाराम, अमराराम द्वारा राजकीय भूमि पर झौपा, कच्ची डिग्गी, तारबंदी कर अतिक्रमण कर लिया है जो अवैध है, जिसके विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जावें। हल्का पटवारी द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट पर तहसीलदार शिव द्वारा प्रकरण अन्तर्गत धारा 91 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, के अन्तर्गत दर्ज कर गैर सायल को जरिये नोटिस जवाब हेतु तलब किया गया। गैर सायल अधिवक्ता दौरान सुनवाई उपस्थित नहीं हुए इस पर तहसीलदार शिव द्वारा गैर सायल को मुतनाजा भूमि पर अवैध कब्जा करने के लिए अतिक्रमी घोषित कर निर्णय दिनांक 10.12.2024 के द्वारा 2773/– रूपये जुर्माना अधिरोपित कर भूमि से बेदखल करने का अपीलाधीन आदेश पारित किया गया। इस आदेश से व्यथित होकर अपीलांट ने दिनांक 23.12.2024 को यह अपील हमारे समक्ष प्रस्तुत की है।

3. अपीलांट की अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोडेंट्स को जरिये समन तलब किया।

4. अपीलांट के अधिवक्ता की बहस सुनी। अपीलांट के विद्वान अधिवक्ता ने निवेदन किया कि मौजा निम्बासर के खेत खसरा नम्बर 36, 37, 38 का आया हुआ है उक्त भूमि में बस्ता पुत्र गोखला द्वारा राजस्व वाद संख्या 99/1971 पेश किया गया, जिसका निर्णय दिनांक 13.07.1971 को किया गया एवं बस्ता को उक्त भूमि का खातेदार घोषित किया गया एवं डिक्री की पालना में राजस्व रेकर्ड में इन्द्राज बदल दिये गये एवं बस्ता का नाम बतौर खातेदार दर्ज किया गया। उक्त भूमि के मूल खातेदार के विरूद्ध सिलिंग रिऑपन का प्रकरण चला जिसमें सगतसिंह वगैरा के पास सिलिंग सीमा से अधिक भूमि मानी गई तो संगतसिह वगैरा ने विकल्प पेश करते समय बस्ता के खातेदारी की भूमि के सदर्भ मे विकल्प पेश किया जिस विकल्प को स्वीकार किया जाकर उक्त भूमि [illegible] दर्ज कर दी गई तब जिला कलक्टर के समक्ष [illegible] उजरदारी पेश की गई जो उजरदारी खारिज की गई। तत्पश्चात [illegible] के वारिसान ने राजस्थान उच्च न्यायालय में रिट याचिका संख्या 3311/1995 पेश की जो दिनांक 29.07.

Signature Not Verified
Digitally signed by Tina Dabi
Date: 2026.02.03 12:37:18 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय जिला कलक्टर बाड़मेर (राजस्थान) सत्यमेव जयते

जिला कलक्टर
बाड़मेर

2002 को स्वीकार की गई एवं यह आदेश पारित किया गया कि भारक्त भूमि ही विकल्प में स्वीकार कर अधिग्रहण की जावे एवं विवादग्रस्त भूमि को भार मुक्त नहीं माना गया। माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के एकलपीठ के निर्णय दिनांक 29.07.2002 के विरूद्ध खण्डपीठ मे विशेष अपील संख्या 551/2002 पेश की गई जो दिनांक 13.05.2016 में खारिज की गई। इस प्रकार एकलपीठ का निर्णय दिनांक 29.07.2002 यथावत रहा एवं एकलपीठ के निर्णय की पालना मे भारमुक्त भूमि अधिग्रहण करने एवं भारयुक्त को मुक्त करने हेतु कार्यवाही विचारधीन है। जिसमे तहसीलदार एवं पटवारी ने अपनी रिपोर्ट मे पेश की गई है। एकलपीठ के निर्णय के अनुसार कार्यवाही किये जाने का पुनः भूमि डिक्रीदार अर्थात बस्ता के वारिसान के नाम दर्ज की जानी है। इस भूमि पर बस्ता के वारिसान जो अपीलार्थीगण है, निरंतर काबिज है एवं कब्जा काश्त करते आ रहे है, वर्तमान में अपीलार्थीगण की काश्त खड़ी है। पटवार हल्का की गलत रिपोर्ट कें आधार पर तहसीलदार ने धारा 91 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम के तहत प्रकरण इस भूमि पर अपीलार्थीगण की और से काम कर रहे मजदूरो के विरुद्ध दर्ज किया एवं उनके नाम से नोटिस दिनांक 06.12.2024 को जारी करने का आदेश दिये एवं आगामी पेशी दिनांक 10.12.2024 मुकर्रर की गई। उक्त पेशी का नोटिस मिलने पश्चात दोनो मजदूर वकील के साथ तहसीलदार के समक्ष उपस्थित हुए परन्तु तहसीलदार द्वारा बिना सुनवाई किये प्रकरण में बेदखली एवं मौके पर खड़ी फसल को जब्त कर निलाम करने का आदेश पारित किया गया है जो कि पूर्णतया विधि विरूद्ध है। जो निरस्त योग्य हैं।

5. रेस्पो संख्या 02 एवं 03 के अधिवक्ता का कथन है कि अप्रार्थी द्वारा उक्त खसरो पर मजदूरी का कार्य किया जा रहा था तत्पश्चात पटवारी हल्का द्वारा उक्त 91 प्रकरण दर्ज कर बिना [illegible] बेदखल किये जाने का आदेश पारित किया गया जो [illegible]।

6. हमने पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। अपीलांट ने इस अपील के द्वारा ग्राम निम्बासर के गे0मु0 राजकीय भूमि पर झौपा, कच्ची डिग्गी,

न्यायालय जिला कलक्टर बाड़मेर (राजस्थान)
सत्यमेव जयते

Signature Not Verified
Digitally signed by Tina Dabi
Date: 2026.02.03 12:37:18 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलक्टर
बाड़मेर

तारबंदी एवं काश्त किया जाना प्रकट किया है जबकि राजस्व रेकर्ड अनुसार उक्त भूमि गैर मुमकीन धोरा दर्ज हैं। अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष रेस्पो संख्या 02 एवं 03 को नोटिस व सुनवाई का अवसर प्रदान किया गया है तथा अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष सुनवाई दिनांक 10.12.2024 हेतु तलब किया गया, सूचना बावजूद अनुपस्थित रहने से रेस्पो. संख्या 02 एवं 03 को राजकीय भूमि से बेदखल कर कब्जा राज किये जाने का आदेश पारित किया गया। अपीलांट के अधिवक्ता का कथन हैं कि रेस्पोडेंट सं. 2 व 3 उनके कृषि मजदूर हैं जबकि मौके पर कब्जा–काश्त उनकी ओर से की गई हैं तथा अपीलांट का कब्जा किसी भी रूप में अनाधिकृत नहीं हैं। इस सम्बन्ध में अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेख से पाया जाता हैं कि जब अधीनस्थ न्यायालय द्वारा रेस्पोडेंट्स सं. 2 व 3 का राजकीय मुतनाजा भूमि पर अनाधिकृत कब्जा होने की रिपोर्ट पर नोटिस जारी किये गये तब इसकी सूचना रेस्पोडेंट्स द्वारा अपीलांट्स की दी जानी चाहिए थी। यद्यपि अपीलांट्स द्वारा रेस्पोडेंट्स सं. 2 व 3 उनके कृषि मजदूर होने के संबंध में कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया है, इसके उपरांत भी अपीलांट जिस खसरा नम्बर 36 व 38 पर अपना हित अधिकार होना प्रकट किया हैं, के अलावा रेस्पोडेंट्स सं. 2 व 3 का खसरा संख्या 37 राजकीय भूमि पर भी अतिक्रमण होना पाया गया हैं, ऐसे में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा मौके पर अवैध कब्जाधारी रेस्पोडेंट सं. 2 व 3 के विरूद्ध जो अपीलाधीन कार्यवाही अमल में लाई जाकर उन्हे अतिक्रमी घोषित कर बेदखल करने का जो निर्णय पारित किया गया है, उसमे हमारे मत से किसी प्रकार कोई विधिक या वाक्याती त्रुटि कारित नहीं की गई है। फलस्वरूप अपीलांट द्वारा प्रस्तुत की गई यह अपील सारहीन एवं आधारहीन तथ्यों पर आधारित होने से खारिज योग्य है।

न्यायालय जिला कलक्टर
सत्यमेव जयते
बाड़मेर (राजस्थान)

Signature Not Verified
Digitally signed by Tina Dabi
Date: 2026.02.03 12:37:18 IST
Reason: SelfAttested

7. अतः उपर्युक्त तथ्यों एवं परि[illegible] पर विवेचन एवं विश्लेषण के परिणामस्वरूप अपीलांट द्वारा प्रस्तुत यह [illegible] अपील सारहीन व आधारहीन तथ्यों पर आधारित होने से खारिज की जाकर अधिनस्थ न्यायालय तहसीलदार शिव द्वारा रेस्पोडेंट सं. 2 व 3 के विरूद्ध पारित किया गया

जिला कलक्टर
बाड़मेर

अपीलाधीन आदेश 10.12.2024 यथावत बहाल रखा जाकर पुष्ट किया जाता है। अपीलांट यदि मुतनाजा भूमि पर न्यायिक निर्णयों के आधार पर अपना हित अधिकार होना मानता हैं तो उसके लिये सक्षम स्तर पर चाराजोही करने हेतु स्वतंत्र हैं।

8. निर्णय आज दिनांक 09.12.2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

न्यायालय जिला कलक्टर बाड़मेर (राजस्थान) सत्यमेव जयते

(टीना डाबी)
जिला कलक्टर, बाड़मेर
जिला कलक्टर
बाड़मेर

Signature Not Verified

Digitally signed by Tina Dabi
Date: 2026.02.03 12:37:18 IST
Reason: SelfAttested